

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्ररूप 5

[खण्ड 10(3) देखिए]

अभिस्वीकृति संख्या
(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने पर आक्षेप के लिए आवेदन	
सेवा में, श्रीमान् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद्/नगरनिगम	
महोदय,	
मैं, निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लेखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ।	☐
मैं, निवेदन करता हूँ कि नीचे उल्लेखित व्यक्ति के नाम से संबंधित प्रविष्टि को हटाया जाना अपेक्षित है।	☐
मैं, निवेदन करता हूँ कि निर्वाचक नामावली में मुझसे संबंधित प्रविष्टि हटाई जानी है।	☐
मेरे आक्षेप या हटाये जाने के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी जा रही है:-	☐

आवेदक की विशिष्टियां			
नाम		उपनाम (यदि कोई हो)	
नाम पिता/माता/पति			
वार्ड संख्या ☐ ☐	भाग सं. ☐ ☐	निर्वाचक नामावली की क्रम सं. ☐ ☐ ☐	
ईपीआईसी संख्या (यदि जारी किया गया हो)			

उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किये जाने पर आक्षेप किया गया है या जिसकी प्रविष्टि हटाई जानी है			
नाम		उपनाम (यदि कोई हो)	
नाम पिता/माता/पति			
वार्ड सं.		निर्वाचक नामावली की क्र. सं.	
ईपीआईसी संख्या (यदि जारी किया गया हो)			
आक्षेप/हटाये जाने के कारण			

घोषणा	
मैं, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मुझे मालूम है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसे मैं जानता हूँ या विश्वास करता हूँ कि असत्य है या जिसके सत्य होने पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, यह राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अधीन दण्डनीय है।	
स्थान	
दिनांक	
आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी (नाम और पता सहित)	

आवेदन पर की गई कार्यवाही के ब्यौरे

फील्ड लेवल के अधिकारी की अभियुक्तियां (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से कार्य करने वाला अधिकारी)

की गई कार्यवाही के ब्यौरे
(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाये)

श्री/श्रीमती/कुमारीके नाम को सम्मिलित करने के प्रति आक्षेप/नाम को विलोपित करने के संबंध में प्ररूप-5 में श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर लिया गया है/नामंजूर कर दिया गया है।

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 12(1) के अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के विस्तृत कारण नीचे दिये गये हैं:-

स्थान :

दिनांक :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम और मुहर)

लिए गये विनिश्चय की सूचना

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाना है और अभिलेख पर उपलब्ध आवेदक के पते पर डाक द्वारा भेजा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी का प्ररूप-5 में आवेदन

निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण
प्राधिकारी द्वारा
प्रेषण के समय डाक
टिकट चसपा किये
जाने है।

आवेदन में यथावर्णित सामान्य तौर पर निवास का वर्तमान पता

मकान सं.			
गली/क्षेत्र/स्थान			
शहर/ग्राम		तहसील	
डाक घर		पिन कोड	□□□□□□
जिला		राज्य	

को

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम को नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद्/नगरनिगम
.....के वार्ड संख्या की क्र.सं. से हटा दिया गया है।
(ख) के कारण से नामंजूर कर दिया गया है।

स्थान :

दिनांक :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम और मुहर)

अभिस्वीकृति / रसीद

अभिस्वीकृति सं.

तारीख

श्री/श्रीमती/कुमारी का प्ररूप-5 में आवेदन प्राप्त हुआ है।

पता

[आवेदक अभिस्वीकृति संख्या को निर्दिष्ट कर आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकता है।]

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
(अधिकारी का नाम एवं पद)

